


न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०



राजस्व निगरानी प्र०क्र०-.....

निगरानी-3178/2018/सतना/श्रु-२५

दिनांक 24-5-18
श्री को.प्र. 21/18
म० प्र०
रामकल्याण तनय स्व० चंद्रिका प्रसाद सिंह निवासी दिदौध तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म०प्र० हाल निवासी प्रभात बिहार कालोनी सतना जिला सतना
म०प्र०

निगराकार

विरुद्ध

- 1- मुस० मिथलेस पत्नी स्व० श्री उदयराज सिंह लगभग उम्र 50 वर्ष
- 2- कुलदीप तनय स्व० श्री उदयराज सिंह लगभग उम्र 32 वर्ष
- 3- प्रियदर्शिनी पुत्री स्व० श्री उदयराज सिंह लगभग उम्र 27 वर्ष
- 4- शुभदर्शिनी पुत्री स्व० श्री उदयराज सिंह लगभग उम्र 26 वर्ष
- 5- प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कोठी तहसील रघुराजनगर

जिला सतना म०प्र०

गैर निगराकारगण

राजस्व निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के
आदेश दिनांक 26.04.2018 न्यायालय श्रीमान्
नायब तहसीलदार तहसील रघुराजनगर प्रभारी
वृत्त कोठी जिला सतना म०प्र० रा०प्र०क्र०-43
अ 27/15-16 मुस० मिथलेस एवं अन्य विरुद्ध
रामकल्याण सिंह एवं अन्य

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

मान्यवर.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

(93)

प्रकरण क्रमांक R/3178/18/सीतना/भूरि,

शमकल्याण भूराजसिंह

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों के
हस्ताक्षर

9-1-19

आवेदक की ओर से श्री डॉ. पी. शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार कोठी, रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 43/31-27/15-16 में पारित आदेश दिनांक 26/04/18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को कलेक्टर जिला सीतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।


सदस्य

